कार्यालय उप तहसीलदार(राजस्व) मुकलावा

मुकदमा नम्बर : 14

सन् 2019

सरकार बनाम जसवन्त सिंह पुत्र श्री जानसिंह जाति जाटसिख निवासी 6P.S

निर्णय

दिनांकः– 31/01/19

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित/उपस्थित नहीं अप्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी पर नोटिस की तामि हो चुकी है। बावजूद तामील के उपस्थित न होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर हल्का अप्रार्थी ने चक 6P.S के मु0न0 49 किला नं0 — के कुल 0.253 हैक्टे0 रकबा नहरी/बारानी राजकीय भूमि को फसल ~~रबी~~/खरीफ ख0सं0 2075 में अनाधिकृत काश्त कर राजकीय भूमि पर अतिचार किया है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 की धारा 22 के तहत दण्डनीय है। अप्रार्थी के इस कृत्य के लिए उसे उक्त धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जाना न्यायोचित है। अतः मालगुजारी 8 प्रति हैक्टे0 — का तावान 50 गुणा राशि 12/- के दण्ड से दण्डित कर उक्त रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि की फसल निलामी हेतु एक फर्द निलामी प्रस्तुत करने हेतु 12R को लिखा गया।

पटवारी हल्का की मतालबा ढालबाछ सम्बन्धित में कायम करनें एवं तावान वसूल करनें तथा उक्त रकबे से बेदखल कर पालना रिपोर्ट पेश करनें हेतु आदेश जारी है। तहसील राजस्व लेखाकार के रजिस्टर 'घ' में मांग दर्ज कराई जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाती है। बाद तरतीब तकमीन दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

उपतहसीलदार (राजस्व)
मुकलावा

Scanned by CamScanner